नम्बर व तारीख अहकाम की नकल हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ जिला–बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल लाल बंजारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधि0,1956

1. श्री वालजी पुत्र खाना भील उम्र वयस्क निवासी मोटापाडा
2. श्रीमती देवी पत्नी हिमतसिंह लबाना श्री रानु पत्नि सुरेश लोहार उम्र वयस्क निवासी डुंगरा छोटा।
3. श्री हितेश पुत्र महेश लोहार उम्र वयस्क निवासी डुंगरा छोटा
4. श्री सुरेश पिता ईश्वरलाल लबाना उम्र वयस्क निवासी डुंगरा छोटा।
5. श्री केला, गलिया पिता जेतिंग भील उम्र वयस्क निवासी मोटापाडा।
6. श्री शेलेन्द्र कुमार पुत्र पारसिंग भील उम्र वयस्क निवासी हरेन्द्रगढ।
7. श्रीमती काली पत्नि नरेश भील उम्र वयस्क निवासी मोटापाडा
8. श्री गजेन्द्र पुत्र मनसुख लाल पांचाल उम्र वयस्क निवासी डुंगरा छोटा तहसील सज्जनगढ, जिला बांसवाडा।

..............प्रार्थी

विरूद्व

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार सज्जनगढ,

..........अप्रार्थी

–ः<u>निर्णयः</u>–

दिनांकः–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सख्या 1 लगायत 8 द्वारा अपने नाम दर्ज ग्राम मोटापाड़ा की आराजी नम्बर कमशः 968 / 732, 945 / 01, 1034 / 732, 1132 / 732, 1123 / 732, 1071 / 732, 1157 / 732, 1178 / 1156, 996 / 732, 1064 / 945 की ऑनलाईन नक्शे में वक्त सेग्रीगेशन गलत दर्ज हो गई है, जिससे उनके बीच आपस में सीमा विवाद होता रहता है, उक्त सीमाओं को नक्शा लठा में तरमीम के अनुसार दुरस्त किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किये। उक्त प्रार्थना पत्र समान प्रकृति के होने से सभी का संयुक्त प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार सज्जनगढ से राजस्व रिकार्ड के मुताबिक जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार सज्जनगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.03.2024 में अंकित किया कि ग्राम मोटापाड़ा की आराजी नम्बर 968 / 732, 945 / 01, 1034 / 732, 1132 / 732, 1123 / 732, 1071 / 732, 1157 / 732, 1178 / 1156, 996 / 732, 1064 / 945, 1030 / 732, 1070 / 732, 1177 / 1156, की तरमीम वक्त सेग्रीगेशन ऑनलाईन नक्शे में गलत दर्ज हो गई जिसको राजस्व नक्शा लठा के अनुसार सही किये जाने में किसी प्रकार की कोई आप्पति नही है। मेंने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का गहन अध्ययन एवं मनन किया। अध्ययन उपरान्त सेग्रीगेशन के दौरान हुई गलती को दुरस्त किया जाना उचित पाया।

आदेश

अतः आदेश दिये जाते है कि ग्राम मोटापाडा के आराजी नम्बर 968 / 732, 945 / 01, 1034 / 732, 1132 / 732, 1123 / 732 , 1071 / 732, 1157 / 732, 1178 / 1156, 996 / 732, 1064 / 945, 1030 / 732, 1070 / 732, 1177 / 1156, की तरमीम को तहसीलदार सज्जनगढ द्वारा प्रस्तावित नक्शा एवं नक्शे लठा में की गई तरमीम के अनुसार ऑनलाईन नक्शे में दुरस्त किया जावें। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार द्वारा प्रमाणित शुदा नक्शा ट्रेस निर्णय का महत्वपूर्ण भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को सरे इजलास न्यायालय मे सुनाया गया।

(गोपाल लाल बंजारा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ।